**न्यायालय उपखण्ड ............ कठूमर जिला अलवर**

मिसल नं. 12/14/20 तारीख रजू..........

विनोद बनाम ग्राम पंचायत सैंथली जर्ये सरपंच ग्राम पं. सैंथली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5.11.2020 | वकील अपीलान्ट उपस्थित। आज यह अपील अपीलान्ट के वकील श्री फतेह सिंह सैनी एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। अपील दर्ज पंजिका हो। रेस्पोंडेन्ट / अप्रार्थीगण जर्ये सम्मन दिनांक 10/12/2020 को पेश हो। [signature] | [illegible] |
| 10/12/20 | बजुवाह करोना P.O. बाहर ...... रवायली दिनांक 22.4.21 को पेश हो। [signature] | |
| 22.4.21 | बजुवाह करोना P.O. बाहर ...... रवायली दिनांक 15.7.21 को पेश हो। [signature] | |
| 15.7.21 | बजुवाह करोना P.O. बाहर ...... रवायली दिनांक 29.10.21 को पेश हो। [signature] | |
| 29.10.21 | प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित [illegible] लोक अदालत में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय सैंथली पर दिनांक 20/12/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी |
|---|---|---|
| 20/12/21 | पत्रावली आज कोर्ट कैम्प 1985 में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से वकील जवाब पेश किया गया मि० किया। एवं दौराने कैम्प की तहसीलदार व पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत समूँची से मौका रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त की ~~जिसमें~~ ~~सभी~~ उपस्थित सभी ने अपील अभिभाषक के हुक्मनामा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई अतः उक्त जांच रिपोर्ट एवं प्रतिवादीगण जवाब के अनुसार अपील अभिभाषक स्वीकार की जाती है। इन्तकाल संख्या 1980 वाके ग्राम समूँची से ~~[illegible]~~ प्रमाणित आराजी ख०न० 1797 वाके ग्राम समूँची रकबा हुक्म बावत भरतलाल पुत्र भजनलाल के स्थान पर विनोद पुत्र भजनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं। ~~[illegible]~~ ~~जो~~ ~~[illegible]~~ तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। निर्णय प्रस्तुत के [illegible] [illegible] [illegible] अपील अभिभाषक मौके [illegible] [illegible] [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]<br><br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/14/2020

वउनवान

1. विनोद पुत्र भजनलाल जाति जाटव निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर हालवासी 1/187 एन ई बी विस्तार ट्रांसपोर्ट नगर अलवर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत समूँची जरिये सरपंच ग्राम पंचायत समूँची पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
2. रामबाबू पुत्र भजनलाल जाति जाटव निवासी पीपलखेडा
3. सम्मो पत्नी भजनलाल जाति जाटव निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर

------ रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 980 वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर

उपस्थित :-

श्री फतेहसिंह सैनी अधिवक्ता – अपीलाण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 20.12.2021

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1797 ग्राम समूँची में वाके है जो आराजी अपीलाण्ट के मृतक पिता भजनलाल पुत्र रामहंस जाटव निवासी पीपलखेडा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अपीलाण्ट के पिता भजनलाल के फौत होने पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा विना

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वारिसान के सही नाम की जांच किये ही विधि विरूद्व तरीके से अपीलाण्ट का गलत नाम भरतलाल दर्ज कर दिया जवकि अपीलाण्ट का सही नाम विनोद है। शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड ,बोटर आई डी, राशनकार्ड में अपीलाण्ट का नाम विनोद दर्ज है। जिस गलत इन्द्राज से अपीलाण्ट के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत नाम के वजूद में रहने से अपीलाण्ट को राज्य व केन्द्र सरकार से मिलने वाले लाभों से बंचित होना पड रहा है। दिनांक 15.10.2020 को गलत नाम की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने रेस्पो0 से गलत नाम को सही करने वावत कहा तो रेस्पो0 ने मना कर दिया। अतः अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 980 वाके ग्राम समूँची से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम भरतलाल के स्थान पर विनोद दर्ज करने व अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 2—3 ने अपना ईकवाल जवाव पेश कर अपील के तथ्यों को स्वीकार किया व अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग शिविर समूँची में दिनांक 20.12.2021 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण से सम्बन्ध में तहसीलदार कठूमर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार कठूमर ने शिविर में ही मौका पर्चा तैयार कर पेश किया जिसमें तहसीलदार कठूमर ने जाहिर किया कि जमाबन्दी संवत् 2076 से 79 वाके ग्राम समूँची के खाता संख्या 597 में भरतलाल पुत्र भजनलाल हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है जवकि प्रार्थी का नाम भरतलाल नहीं होकर विनोद है। अपीलाण्ट के पिता भजनलाल के विरासत इन्तकाल संख्या 980 वाके ग्राम समूँची दर्ज करते समय विनोद के स्थान पर भरतलाल दर्ज कर दिया गया जवकि भजनलाल के दो पुत्र विनोद एंव रामबाबू है। अन्य कोई पुत्र नहीं है। जिसकी जांच मजमें आम में की गई सभी ग्रामवासियों से जानकारी करने पर पाया कि अपीलाण्ट का सही नाम विनोद है। सहवन से भरतलाल दर्ज हो गया। जिस मौका पर्चा पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

ग्रामवासियान, सरपंच ग्राम पंचायत समूँची के हस्ताक्षर है तथा पर्चा मौका पटवारी हल्का, कानूनगौ द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसमें तहसीलदार कठूमर ने राजस्व रेकार्ड में भरतलाल के स्थान पर विनोद दर्ज करने की अभिषंशा की गई है जो पर्चा मौका विश्वसनीय प्रतीत होता है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड राशनकार्ड, आधार कार्ड अंकतालिका एंव मौका पर्चा तथा तहसीलदार कठूमर की अभिसंशा के आधार पर अपीलाण्ट का नाम भरतलाल ना होकर विनोद होना सावित है। अतः अपीलाण्ट की अपील सावित होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 980 वाके ग्राम समूँची से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 1797 वाके ग्राम समूची तहसील कठूमर वावत भरतलाल पुत्र भजनलाल के स्थान पर विनोद पुत्र भजनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 20.12.2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)